## Order Sheet [Contd] Case No 22/.16B.A Cr.P.C....

Date of Order or Proceeding With Signature of presiding Parties or Proceeding  22—12—16  Uरिवादी द्वारा श्री ए०के०श्रीवास्तव अधिवक्ता । आरोपी गनपति माहोर सहित श्री एन०एस०तोमर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक आवेदनपत्र प्रकरण में आरोपी का समर्पण स्वीकार कर अभिरक्षा में लेने हेतु धारा ४४(2)जा०को० का पेश किया । उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । आरोपी का प्रकरण में बारंट जारी है अतः उसका समर्पण आवेदन स्वीकार कर उसे अभिरक्षा में लिया गया ।  इसी अवस्था पर आरोपी की ओर से धारा ४३९ जा०को० का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि विद्युत विभाग द्वारा उसके विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है । वह जमानत की सभी शतों का पालन करने को तैयार है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया । आरोपी के विरुद्ध विद्युत विभाग ने विद्युत विभाग ने विरोध किया । उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । अरोपी के विरुद्ध विद्युत विभाग ने विद्युत विभाग समय लगने की संभावना है । ऐसी दशा में प्रकरण के निराकरण में अभी समय लगने की संभावना है । ऐसी दशा में प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक की ओर से पेश आवेदनपत्र इस निर्देश के साथ स्वीकार कियाजाना ऐशी से पूर्व जमा कराकर उसकी रशीद न्यायालय में पेश करे तो उसकीओर से तीस हजार रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश कियो जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोडा जाये ।  प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है । विशेष न्यायाधीश विद्युत		Case No 22/.10B.A Cr.P.C	
आरोपी गनपित माहोर सहित श्री एन०एस०तोमर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक आवेदनपत्र प्रकरण में आरोपी का समर्पण स्वीकार कर अभिरक्षा में लेने हेतु धारा 44(2)जा०फो० का पेश किया । उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । आरोपी का प्रकरण में बारंट जारी है अतः उसका समर्पण आवेदन स्वीकार कर उसे अभिरक्षा में लिया गया । इसी अवस्था पर आरोपी की ओर से धारा 439 जा०फो० का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि विद्युत विभाग द्वारा उसके विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है जिसमें उसे जानकारी होने पर वह आज न्यायालय में उपस्थित हो रहा है । वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया । आरोपी के विरुद्ध विद्युत विभाग ने विद्युत विभाग ने विरोध किया । उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । आरोपी के विरुद्ध विद्युत विभाग ने विद्युत की बकाया राशि रहने के कारण परिवाद पेश किया है । प्रकरण के निराकरण में अभी समय लगने की संभावना है । ऐसी दशा में प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक की ओर से पेश आवेदनपत्र इस निर्देश के साथ स्वीकार कियाजाता है कि वह विद्युत विभाग की बकाया राशि में से बीस प्रतिशत राशि आगामी पेशी से पूर्व जमा कराकर उसकी रशीद न्यायालय में पेश करे तो उसकीओर से तीस हजार रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोडा जाये । प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है । प्रकरण आरोप तर्क हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो ।	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders where
	22-12-16	आरोपी गनपित माहोर सिहत श्री एन०एस०तोमर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक आवेदनपत्र प्रकरण में आरोपी का समर्पण स्वीकार कर अभिरक्षा में लेने हेतु धारा 44(2)जा०फो० का पेश किया । उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । आरोपी का प्रकरण में बारंट जारी है अतः उसका समर्पण आवेदन स्वीकार कर उसे अभिरक्षा में लिया गया । इसी अवस्था पर आरोपी की ओर से धारा 439 जा०फो० का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि विद्युत विभाग द्वारा उसके विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है जिसमें उसे जानकारी होने पर वह आज न्यायालय में उपस्थित हो रहा है । वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया है । परिवादी विद्युत विभाग ने विरोध किया । उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । आरोपी के विरुद्ध विद्युत विभाग ने विद्युत की बकाया राशि रहने के कारण परिवाद पेश किया है । प्रकरण के निराकरण में अभी समय लगने की संभावना है । ऐसी दशा में प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक की ओर से पेश आवेदनपत्र इस निर्देश के साथ स्वीकार कियाजाता है कि वह विद्युत विभाग की बकाया राशि में से बीस प्रतिशत राशि आगामी पेशी से पूर्व जमा कराकर उसकी रशीद न्यायालय में पेश करे तो उसकीओर से तीस हजार रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोडा जाये । प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है । प्रकरण आरोप तर्क हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो ।	